हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

षष्टम् सत्र

<u>समाचार भाग-1</u>

संख्याः 53

सोमवार, 9 सितम्बर, 2024/18 भाद्रपद, 1946(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 02.00 बजे (अपराह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी की अध्यक्षता में 02.00 बजे अपराह्न आरम्भ हुई।

1. प्रश्नोत्तर

(I) तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्याः 2138 के उत्तर पर श्री रणधीर शर्मा (प्राधिकृत) द्वारा अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा मुख्य मंत्री द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 2139 से 2141 तक के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 2142 से 2163 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(II) अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्याः 970 से 992 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे ।

2. साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री ने साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य दिया।

3. कागज़ात सभा पटल पर

(1) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री**, ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सहबद्ध सेवा/पद, ग्रुप-सी, परीक्षा (द्वितीय संशोधन) नियम, 2024 जोकि अधिसूचना संख्याःपीईआर(एपी)-सी-ए(3)-4/2019, दिनांक 09.04.2024 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 19.04.2024 को प्रकाशित;

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, पर्यावरण अधिकारी, ग्रुप-ए भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2024 जोकि अधिसूचना संख्याः एस0टी0ई0बी(3)-1/2022, दिनांक 12.04.2024 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 09.05.2024 को प्रकाशित; और

(iii) नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक (डी पी सी) अधिनियम, 1971 की धारा 19(ए) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड का 39वाँ वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखें, वर्ष 2022-23 (विलम्ब के कारणों सहित)।

(2) डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) (बी) के अन्तर्गत महिला एवं बाल विकास सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2022-23 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखी।

(3) **श्री यादविन्द्र गोमा, आयुष मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 6 की उप- धारा (1) और (2) के साथ पठित हिमाचल प्रदेश, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 के नियम 3 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की विधिक सेवा कार्यक्रम के कार्यान्वयन ब्यौरे का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2022-23 (विलम्ब के कारणों सहित); और

(ii) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 6 की उप- धारा (1) और (2) के साथ पठित हिमाचल प्रदेश, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 के नियम 3 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2022-23 (विलम्ब के कारणों सहित)।

4. सदन की समिति के प्रतिवेदन

श्री संजय रत्न, सभापति, स्थानीय निधि लेखा समिति (वर्ष 2024-25) ने समिति के प्रथम मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत नाया पंजोड़, विकास खण्ड शिलाई, सिरमौर अवधि 04/2018 से 03/2023 के लेखाओं पर तैयार विशेष अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन की संवीक्षा पर आधारित तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित है, की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

5. सांविधिक इकाई हेतु मनोनयन

श्री रोहित ठाकुर, शिक्षा मन्त्री ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत कियाः-

"That in pursuance of Section 18 (f) of the Private Universities Act and Section 17(1) of the First Statutes of the Private Universities Act, two members of the State Legislative Assembly, are to be elected by the State

Legislature for the term of two years in the Governing Body of 16 Private Universities, for a term of two years commencing from the date of publication of their being as Members of the Governing Body of the Private University subject to provisions of the First Statutes of the Private Universities."

Sr. No.	Name of the University
1.	Arni University, Kathgarh, Indora (Kangra).
2.	Shoolini University of Biotechnology & Management Science, Bajhol, Distt. Solan.
3.	IEC University Kallujhanda, Barotiwala, Distt. Solan.
4.	Baddi University of Emerging Science & Technologies, Bhud, Baddi (Solan).
5.	Chitkara University, Kallujhanda, Barotiwala, Distt. Solan.
6.	Bahara University, Waknaghat, Distt. Solan.
7.	Manav Bharti University, Village Sultanpur, Distt. Solan.
8.	Career Point University, Tikker Kharwarian (Bhoranj), Distt. Hamirpur, H.P.
9.	Sri Sai University Palampur (Kangra)
10.	APG Shimla University, Panthaghati, Shimla.
11.	Indus International University, VPO Bathu, Distt. Solan.
12.	Eternal University, Baru Sahib, Distt. Sirmour
13.	Maharishi Markandeshwar University, Kumarhatti, Solan
14.	Abhilashi University, Chailchowk, Tehsil Chachiot, Distt. Mandi
15.	Maharaja Agarsen University, Baddi
16.	ICFAI University, Baddi

प्रस्ताव स्वीकार।

6. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

(1) **श्री पवन कुमार काजल, सदस्य** ने "कांगड़ा निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल योजनाओं के कारण हो रही असुविधा से उत्पन्न स्थिति" की ओर उप-मुख्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित किया।

(3.20 बजे अपराह्न उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

माननीय उप-मुख्य मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(2) **श्री विपिन सिंह परमार, सदस्य** ने "जिया-बड़सर-घनेटा की सिंचाई योजना कथुल्ल कूहल की पाइपें फट जाने से उत्पन्न स्थिति" की ओर उप-मुख्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित किया।

(3.55 बजे अपराह्न अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

माननीय उप-मुख्य मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

श्री विपिन सिंह परमार ने स्पष्टीकरण मांगा।

माननीय उप-मुख्य मन्त्री ने उत्तर दिया।

7. <u>विधायी कार्य</u>

(I) सरकारी विधेयक की पुरःस्थापना

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 28) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 28)) पुरःस्थापित हुआ।

(II) सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि "अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 27)" पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि "अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 27)" को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

"अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 27)"पारित हुआ।

8. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव

(1) **श्री भवानी सिंह पठानिया, सदस्य** ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं चर्चा की -

> "**प्रदेश की वर्तमान वित्तीय स्थिति** पर यह सदन विचार करे।"

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लिया -

1. श्री जय राम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष

नेता प्रतिपक्ष द्वारा ज़िक्र करने पर कि उनकी सरकार जब सत्ता में आई थी उस समय प्रदेश के ऊपर 48000 करोड़ रुपये का लोन था और इन्होंने

40000 करोड़ रुपये लोन लिया जिसमें से 38000 करोड़ रुपये की राशि वापिस भी की गई इस पर माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि वे यहां ये नहीं समझ पा रहे हैं कि प्रदेश के ऊपर ये लोन 48000 करोड़ से 85000 करोड़ रुपये कैसे हुआ।

2. श्री हर्षवर्धन चौहान, उद्योग मन्त्री

(5.28 बजे अपराह्न उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

3. श्री विपिन सिंह परमार

माननीय सदस्य द्वारा चर्चा के दौरान मंदिरों के बारे में टिप्पणी करने पर उप-मुख्य मंत्री ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि इस देव भूमि में किसी भी मंदिर का सोना-चांदी न तो गिरवी रखा जा रहा है और न ही बेचा जा रहा है इसलिए इस बारे में प्रदेश में सनसनी फैलाने की कोशिश न की जाए।

माननीय मुख्य मंत्री ने माननीय सदस्य द्वारा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का ज़िक्र करने पर कहा कि ऐसी बात उठाकर राजनीतिक लाभ हासिल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा माननीय सदस्य द्वारा कहने पर कि ऑफिस के लिए महँगी लाइट्स लग रही हैं और फर्नीचर कहीं बाहर से आ रहा है इस पर भी माननीय मुख्य मंत्री ने वास्तविक स्थिति से अवगत करते हुए माननीय सदस्य को तथ्यों पर आधारित बात सदन में रखने को कहा।

4. श्री चंद्र शेखर

नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर ने माननीय सदस्य द्वारा चर्चा के दौरान विधायकों के बारे में टिप्पणी करने पर कि विधायक मुख्य मंत्री जी के पास आते हैं और कागज़ पकड़ाते हैं तथा अपने काम करवाते हैं, पर आपत्ति दर्ज़ की।

(07.00 बजे सांय सदन की बैठक का समय 7.10 बजे सांय तक बढ़ाया गया।)

5. श्री आशीष शर्मा

माननीय सदस्य द्वारा पानी की स्कीम के बारे में चर्चा करते हुए यह कहने पर कि उसके लिए सरकारी कोष से पैसा दिया गया, पर उप-मुख्य मंत्री ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि कोर्ट के फैसले के अनुसार ही इस दिशा में कार्रवाई हुई है।

07.10 बजे सांय सदन की बैठक मंगलवार, 10 सितम्बर, 2024 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई।